367

संख्या– /xxiv(7)/2016–49(2)/15

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 20 जनवरी, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूसा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट (पिथौरागढ) के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी रूसा, परियोजना निदेशालय देहरादून के पत्र संख्या 510(45)/रूसा/2015–16 दिनांक 01.08.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट (पिथौरागढ) के कार्यों हेतु टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 189.13 लाख (सिविल कार्य हेतु रू0 96.70 लाख + अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु रू0 92.43 लाख) के सापेक्ष रू0 24.68 लाख (रू0 चौबीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं रूसा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रूसा) को अवमुक्त की जायेगी। तथा उनके द्वारा सम्बधिन्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का तीन माह के भीतर पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर समक्ष अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानो एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानो में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करे।

10– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

11– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

2/

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

12– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

13– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–0101–रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण अनुदान–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–327 (P)/xxvii(3)/2015–16 दिनांक 19 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव।

पृ0सं0 2179 (1)/xxiv(7)/2016–49(2)/15तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त कुमायं मण्डल नैनीताल।
3–जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
4–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5–सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6–नोडल अधिकारी रूसा देहरादून।
7–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ।
8–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
10–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
11–परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 हल्द्वानी।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।